भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2778

(दिनांक 15.12.2021 को उत्तर के लिए)

रिक्त पड़े आरक्षित पद

2778. डॉ. आलोक कुमार सुमन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि संबंधित विभाग के लापरवाहीपूर्ण रवैये के कारण केन्द्र सरकार के सरकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों में बड़ी संख्या में आरक्षित रिक्तियों को भरा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अपनी कार्यालयी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) अजा/अजजा/अपि वर्ग की सभी आरक्षित रिक्तियों को निर्धारित समय पर भरने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केन्द्र सरकार के 90 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों वाले 10 मंत्रालयों/विभागों से अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है। ये मंत्रालय/विभाग अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से ऐसे आंकड़े एकत्रित करते हैं एवं तदुपरांत, समेकित आंकड़े कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 01.01.2020 को मंत्रालय/विभाग-वार एवं श्रेणी-वार (अर्थात अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.) बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का विवरण **संलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) एवं (घ) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. हेतु आरक्षण से संबंधित डीओपीटी के दिशा-निर्देशों को पूर्णतया क्रियान्वित किया जा रहा है, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रशासन के प्रभारी उप

सचिव (अथवा कम से कम उप सचिव की रैंक का कोई अन्य अधिकारी) को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया जाए। यदि मंत्रालयों/विभागों के सम्पर्क अधिकारी यह देखते हैं कि किसी अधिकारी ने आरक्षण निर्देशों का उल्लंघन किया है अथवा किसी अधिकारी के विरूद्ध उत्पीड़न की शिकायत है या कोई कमजोर तबकों के हितों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर चीजों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा है तो उसे ऐसी चूकों की सूचना सचिव/सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग के अपर सचिव/या विभागाध्यक्ष के अधीन आने वाले कार्यालयों के मामले में विभागाध्यक्ष को, जैसा मामला हो, देनी चाहिए। संबंधित सचिव/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष ऐसी रिपोर्टों पर आवश्यक आदेश पारित करेंगे, ताकि सम्बंधित नियोक्ता प्राधिकरण के आरक्षण संबंधी आदेशों को कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित हो सके।

(ड.) : बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 03.11.2021 का जारी किए गए हाल ही के पत्र सहित सभी मंत्रालयों/विभागों से समय-समय पर अजा/अजजा/अपिव के लिए सभी बैकलॉग रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान शुरू करने सहित समयबद्ध तरीके से भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

संलग्नक-I

रिक्त पड़े आरक्षित पद के संबंध में डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2021 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2778 के उत्तर के संबंध में उल्लिखित संलग्नक										
दिनांक 31.12.2019 (01.01.2020) तक की स्थिति के अनुसार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का आंकड़ा										
बैकलॉग रिक्तियों, भरी गई रिक्तियों और भरी नहीं गई रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण										
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		रिक्तियां	भरे हुए	रिक्त	रिक्तियां	भरे हुए	रिक्त	रिक्तियां	भरे हुए	रिक्त
1	डाक	1379	393	986	845	158	687	1090	426	664
2	रेलवे	9767	4208	5559	7713	2250	5463	12061	5314	6747
3	आवास और शहरी मामले	259	141	118	272	124	148	720	431	289
4	रक्षा उत्पादन	8604	6818	1786	7352	5647	1705	4692	4156	536
5	रक्षा	1649	236	1413	1068	117	951	2732	529	2203
6	परमाणु ऊर्जा	189	52	137	189	40	149	679	108	571
7	वित्तीय सेवाएं	1527	648	879	1363	421	942	2252	1018	1234
8	राजस्व	4971	1483	3488	3214	647	2567	4336	1492	2844
	कुल	**28345**	**13979**	**14366**	**22016**	**9404**	**12612**	**28562**	**13474**	**15088**